प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : **A.C.B O.P. Siu Jaipur** थानाः **C.P.S,A.C.B. Jaipur** ....वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं. ....20/2022...............दिनांक..........25/1/22

2. (I) अधिनियम धारायें. 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 भादंसं.

(II) *अधिनियम .... धारायें ....

(III) *अधिनियम .... धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....597.......... समय .....5-45 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिनांक 24.1.2022 से लगातार

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.01.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल :– पंचायत समिति परिसर, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिड़ावा

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– उत्तर में करीब 210 कि0मी0

(ब) *पता : ....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं............

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – श्रीमती सोनू कुमारी
(ब) पिता/पति का नाम –श्री रितेश जांगिड़
(स) जन्म तिथि/वर्ष ....23 साल.........................
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय .– पढ़ाई
(ल) पता – निवासी चिड़ावा जिला झुन्झुनु हाल सोडाला रामनगर गणेशपथ, जयपुर

<u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :–

1. श्री प्रियतम डांगी उर्फ प्रीतम पुत्र श्री धर्मवीर जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनु हाल पदस्थापन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिड़ावा, जिला झुन्झुनु

2. श्री राजीव कुल्हार पुत्र श्री विजय सिंह कुल्हार जाति जाट उम्र 42 साल निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनु हाल किसान कॉलोनी, वार्ड न0 10, नई तहसील के पास झुन्झुनु हाल कनिष्ठ सहायक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला झुन्झुनु

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)... रिश्वती राशि 40,000/– रूपये

10. * चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ..रिश्वती राशि 40,000/– रूपये

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 18.01.2022 को परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि श्री रितेश जांगिड़ उम्र 23 साल निवासी चिड़ावा जिला झुन्झुनु हाल सोडाला रामनगर गणेशपथ, जयपुर ने मय अपने पति श्री रितेश जांगिड़ के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं सोनू पुत्री श्रवण कुमार मेघवाल निवासी चिड़ावा झुन्झुनु की रहने वाली हू, मैंने 12/03/2021 को श्री रितेश जांगिड़ पुत्र हनुमान प्रसाद जांगिड़ निवासी खाती महलों का बास, माला तहसील किशनगढ़ से हिन्दू रिती रिवाज से अर्न्तजातीय विवाह किया है। राज्य सरकार द्वारा इस तरह अर्न्तजातीय विवाह रकने पर डॉ0 सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना के लिए मरे द्वारा आवेदन किया गया था मैंने पहले ऑफलाईन फार्म भरा था तब विभाग से फोन आने पर मैंने ऑनलाईन फॉर्म भी भरा था उसके पश्चात् प्रीतम नाम का एक कर्मचारी चिड़ावा समाज कल्याण विभाग में कार्यरत है मेरे घर पर जांच करने के नाम पर गया अतः मेरे घर से मेरे मोबाइल न0 लेकर मुझसे बात करी, उस समय मैं जयपुर थी उसके बाद प्रीतम के मोबाइल न0 9636028346 से मेरे मोबाइल न0 6378506562 पर फोन आया तथा कहा की जांच के लिए आपके परिवार से किसी को भेजों हमारे ऑफिस में भेजों क्योंकि फोन पर सारी बात नहीं हो सकती, इस पर मैंने मेरी बड़ी बहन ममता जो चिड़ावा में रहती है, उसे 15/01/22 को प्रीतम से बात करने के लिए कहा। उसके बाद मेरी दिदी ने प्रीतम से बात करी तो प्रीतम खुद मेरी दिदी से मिला तथा मेरी दिदी को बताया की मैंने जो अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये की सहायता के लिए फॉर्म भरा है वो दिलाने के लिए पहले मुझे 40 हजार रूपये रिश्वत प्रीतम को देने पड़ेगे नही तो मेरा काम नहीं होगा ये सारी बात मुझे मेरी बहन ममता ने बताई। मैं प्रीतम को मेरे वैध काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना चाहती तथा उसे रंगे–हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरी प्रीतम से कोई निजी दुश्मनी या रजिंश नहीं है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मुझ पुलिस उप अधीक्षक को बुलाया व अपने कार्यालय में बैठे हुए श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि रितेश जांगिड़ व रितेश जांगिड़ पुत्र हनुमान प्रसाद जांगिड़ से परिचय करवाया व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुझ पु0उ0अधीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर उपरोक्त दोनों परिवादीयों को अपने कार्यालय कक्ष में साथ लेकर आया व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो श्रीमति सोनू ने स्वयं के द्वारा लिखा हुआ बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्ठी की। साथ ही सोनू द्वारा स्वयं के द्वारा किये गये आवेदन पत्र की फोटो प्रति, स्वयं के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की व ऑनलाईन भरे गये फार्म की फोटोप्रति भी पेश की। चूंकी प्रकरण में सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है अतः कानि0 रमजान न0 466 को तलब कर कार्यालय कक्ष में बुलाया गया व आपस में परिचय करवाया जाकर पूर्ण प्रकरण समझाया गया। उपस्थित परिवादियों को विभागीय वाईस रिर्कोडर के बारे में समझाया गया, चलाने बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तथा कानि0 रमजान 466 के साथ जाकर गोपनीयता रखते हुये सत्यापन कराने हेतु कहा जाकर मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 20.01.2022 को श्री रमजान कानि0 मय परिवादीगण श्रीमती सोनू कुमारी व श्री रितेश जांगिड़ के उपस्थित कार्यालय आया। श्री रमजान कानि0 ने अपने पास से वाईस रिर्कोडर मन पुलिस उप अधीक्षक को दुरस्त हालत में प्रस्तुत कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर दिनांक 19.01.2022 को दिन में 1 बजे करीब पंचायत समिति चिड़ावा पहुंचे। जहां पर परिवादीगण को वाईस रिर्कोडर चालू करके दिया जाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादीगण पर नजर हुये परिवादी श्रीमती सोनू कुमारी के मोबाईल फोन 6378506562 से संदिग्ध आरोपी श्री प्रीयतम उर्फ प्रीतम के मोबाईल न0 9636028346 पर समय 1.19 पीएम पर बात करवाई और पुछा कि सर कहा मिलोगे तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को अपने कार्यालय में मिलने आने के लिये कहा। तत्पश्चात दोनों परिवादीगण संदिग्ध आरोपी से मिलने व बात करने के लिंये उसके कार्यालय पंचायत समिति मे गये और समय करीब 1.50 पीएम पर वापस बाहर आकर वाईस रिर्कोडर मुझे लाकर पेश किया जिसको मैंने बंद किया। उसके बाद श्री रमजान कानि0 मय परिवादीगण श्रीमती सोनू कुमारी व श्री रितेश जांगिड़ रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। श्रीमती सोनू कुमारी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को पूछने पर बताया कि पंचायत समिति के बाहर ही श्री रमज़ान कानि0 ने मुझे रिर्कोडर चालू करके दे दिया था व वहीं से मैंने प्रीयतम से मेरे मोबाईल से बात करी तो श्री प्रियतम ने अपने कार्यालय पंचायत समिति में स्थित समाज कल्याण विभाग के कक्ष में बुलाया। मैं व मेरे पति श्री प्रीयतम के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने मेरे काम के संबंध में बात की तो मेरे काम संबंधी दस्तावेज मांगे और मेरे काम की एवज में 40 हजार रूपये की लिये बोला, मैंने कम करने के लिये बोला तो उन्होंने कम करने की मना करके अन्य व्यक्ति से अपने मोबाईल के व्हाटसअप से कॉल पर मेरी बात कराई, जिनको श्री प्रियतम, कुल्हार नाम करके बोल रहे थे। अन्य व्यक्ति ने भी मेरे काम के मेरे काम के लिये 40 हजार के लिये ही कहा मेरे कम करने की कहने पर साफ साफ मना कर दिया। ये सारी वार्ता रिर्कोडर में रिकॉर्ड हो गई होगी। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा वाईस रिर्कोडर को सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादीया के काम की

एवज में 40 हजार की मांग करना पाया गया है। उक्त वाईस रिर्कोडर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन नियमानुसार तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.01.2022 को मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादीया श्रीमती सोनू से जरिये मोबाईल आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर आने के संबंध में वार्ता की तो परिवादीया ने बताया कि मुझसे रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादीया को निर्देशित किया कि जैसे ही पैसों की व्यवस्था हो जाये आप तुरन्त मुझे अवगत करावें। जिस पर परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि मैंने आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि में से कुछ पैसों की व्यवस्था कर ली है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने राजपत्रित अवकाश (शनिवार, रविवार) होने पर परिवादीया को निर्देशित किया कि आप ट्रेप कार्यवाही हेतु सोमवार सुबह 7 बजे रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आवें। ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर पूर्व से पाबंदशुदा गवाहान श्री नरेश कुमार सैनी व श्री मोहनलाल को जरिये मोबाईल दिनांक 24.01.2022 को सुबह 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 24.01.2022 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुमार सैनी व श्री मोहन लाल कोली उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी मय अपने पति श्री रितेश जांगिड मय रिश्वत राशि के उपस्थित कार्यालय आयी। परिवादीया व उसके पति रितेश जांगिड़ व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाकर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने हेतु स्वीकृति चाही गई तो अपनी–अपनी मौखिक सहमति दी। स्वतंत्र गवाहान से परिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृथक से हस्ताक्षर करवाये एवं रिश्वत मांग संबंधी कार्यवाही से स्वतंत्र गवाहान को अवगत करवाया गया। मौतबीरान के समक्ष आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि रितेश जांगिड़ निवासी सोडाला रामनगर गणेशपथ, जयपुर मय अपने पति श्री रितेश जांगिड़ ने अपने पास से 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/– रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादीया के काम की एवज में कुल 40,000/–रूपये की मांग की गई है। अतः बाकी रिश्वत राशि में दिये जाने वाले डमी करेंसी 500–500 रूपये के कुल 50 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक के कुल 25,000/–रूपये की भी व्यवस्था कार्यालय की आलमारी से निकलवाये जाकर की गयी। उक्त रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार से है–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133575
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133576
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133577
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133578
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133579
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133580
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133581
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133582
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133583
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC	133584
11	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AB	741876
12	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 HW	425987
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AC	171848
14	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 MH	488319
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DR	905626
16	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 VA	720260
17	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 DD	565128
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 FM	456335
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 AP	493673
20	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AN	300435
21	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 GM	902707
22	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CN	494318
23	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 FM	653394

24	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 FB	847603
25	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 VP	723469
26	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 VP	723127
27	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 VP	723471
28	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DG	289891
29	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 PW	536717
30	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CT	067564

उक्त सभी 30 नोटों के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/— रूपये है। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। सभी डमी नोटों पर **DUK 616850** नम्बर अंकित है। उपरोक्त सभी नोटों पर कार्यालय की आलमारी से श्री हिमांशु शर्मा से फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री हिमांशु शर्मा से अच्छी तरह से फिनोपथलीन पाउडर लगवाया गया। श्रीमती निधि म0कानि0 86 से परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादीया के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री हिमांशु शर्मा से परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी की पहने हुये कोर्ट बांयी जेब में उक्त फिनोपथलीन पाउडर युक्त 40,000/—रू.(डमी करेंसी सहित) के नोट संदिग्ध आरोपी को देने हेतु रखवाये गये एंव परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगी तब तक कि रिश्वत मांगने वाले संदिग्ध आरोपी रिश्वत के रूप में मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादीया को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एंव बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवे। संदिग्ध आरोपी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मुंह पर से मास्क हटाकर अथवा अपने मोबाइल फोन से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर पर मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस अथवा ट्रैप पार्टी को संदिग्ध आरोपी के रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने का ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी के आस पास रहकर परिवादीया व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन—देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री हिमांशु शर्मा के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद श्री हिमांशु शर्मा से उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एंव फिनोपथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवायी गयी। इसके पश्चात श्री हिमांशु शर्मा के दोनों हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोपथलीन पाउडर लगाया गया, उसे श्री हिमांशु शर्मा द्वारा जलाकर नष्ट किया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी श्रीमती सोनू कुमारी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी को अपना मोबाईल फोन अपने पास रखने हेतु दिया गया। परिवादीया को डिजीटल वॉइस रिकार्डर हिदायत के साथ संदिग्ध आरोपी व उसके मध्य रिश्वत के लेन—देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द मुर्तिब की गई। समय 08.00 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान सर्व श्री सुभाष चन्द कानि., पन्नालाल कानि, रमजान अली कानि., दिलावर कानि., कमलेश कानि., श्रीमती निधि म.कानि., श्रीमती संतोष टेलर म.कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8799 मय चालक श्री इन्द्रसिंह कानि. चालक एवं आरजे 14 यूए 1399 मय सरकारी वाहन चालक श्री कमलेश कानि. चालक के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री एवं सामान सरकारी के सरकारी वाहनों के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुए। इमदाद हेतु श्री सचिन शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक को हमराह लिया गया। समय 12.30 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराही रवाना होकर कार्यालय पंचायत समिति, चिडावा के मुख्य दरवाजे के बाहर पहुंचे, जहां पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपस्थित महिला कानि0 के समक्ष परिवादीया को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की आवश्यक समझाइस कर बाद हिदायत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु उसके पति श्री रितेश जांगिड़ के साथ पंचायत समिति, चिडावा के केम्पस में स्थित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला

झुन्झुनूं हेतु रवाना किया तथा परिवादीया के पीछे–पीछे श्रीमती संतोष टेलर महिला कानि. 226, कानि. श्री रमजान अली नं. 466 तथा स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार सैनी को पंचायत समिति, चिडावा के केम्पस में परिवादीया के आस–पास रहकर निगरानी रखने हेतु रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता गाडियों को पंचायत समिति, चिडावा के मुख्य दरवाजे से कुछ दूरी पर खडा कर आस–पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादीया के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम रहे। समय 01:25 पीएम पर परिवादिया श्रीमती सोनू कुमारी ने पूर्व में बताये अनुसार अपने मोबाईल नम्बर 6378506562 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9460000609 पर कॉल कर ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यों को हमराह लेकर पंचायत समिति, चिडावा के दरवाजे से पंचायत समिति के केम्पस में प्रवेश कर केम्पस में स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं के भवन में पहुंचे जहां पर परिवादिया अपने पति श्री रितेश जांगिड़ के साथ उपस्थित मिली। जिन्होंने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं के भवन बांयी तरफ के दूसरे कमरा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चिडावा का कार्यालय कक्ष है, जिसमें संदिग्ध श्री प्रीयतम डांगी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चिडावा बैठे हुये है। जिनके द्वारा मांगने पर मैंने अभी रिश्वत की राशि उनको दे दी है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादिया एवं उसके पति को साथ में लेकर उक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय कक्ष के दरवाजे के सामने पहुंचा, कक्ष के दरवाजे पर प्रियतम डांगी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के नाम का कागज लगा हुआ है, तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उक्त कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। जहां पर एक व्यक्ति टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। जिसकी ओर परिवादीया ने इशारा कर बताया कि यह ही श्री प्रियतम डांगी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चिडावा, जिला झुन्झुनूं है जिन्होंने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में अभी मेरे अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं से स्वीकृत करवाने की एवज अपने लिये तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं में पदस्थापित किसी राजीव कुल्हार के लिये 40,000/– रूपये की मांग कर अपनी टेबल पर स्वयं के बांयी साईड में टेबल पर रखी आसमानी रंग की प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे रखवाकर प्राप्त किये है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रीयतम डांगी पुत्र श्री धरमवीर डांगी उम्र 36 साल निवासी ग्राम ओजटू पुलिस थाना चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी श्री प्रीयतम डांगी को परिवादीया की तरफ ईशारा कर पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है, तो पहले घबरा गये तथा बाद में तसल्ली देकर पूछा उन्होंने बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है। श्रीमती सोनू के अन्तर्जातीय विवाह के आवेदन फार्म में जिला कार्यालय झुन्झुनूं से ऑब्जेक्शन लगा हुआ था उक्त फार्म की कमी के सम्बंध में श्रीमती सोनू एवं उसके पति मेरे से पूछ रहे थे। तब मैंने इनको इनके फार्म की कमी बताई तथा कहा कि आप के फार्म में शपथ पत्र की कमी है। तो श्रीमती सोनू ने मेरे से शपथ पत्र मांगा, फिर मैंने इनको शपथ पत्र का फोरमेट दे दिया। इनके कहने पर मैंने उक्त फोरमेट अपने हाथों से भरकर दे दिया। श्रीमती सोनू ने मुझे आय प्रमाण पत्र नहीं होना बताया जिस मैंने इनको बाहर से आय प्रमाण पत्र का फोरमेट बाहर से लेना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने की हिदायत की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी को परिवादीया से सम्बंधित कोई कार्य उनके पास लम्बित होने के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि श्रीमती सोनू के अन्तर्जातीय विवाह के आवेदन फार्म में जिला कार्यालय झुन्झुनूं से ऑब्जेक्शन लगा हुआ था जिसके बारे में ये लोग मुझसे पूछ रहे थे इनका काई कार्य मेरे पास लम्बित नहीं है तथा ना ही यह मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इनका कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं से होना है। मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादीया श्रीमती सोनू ने बताया कि मैंने ढेड महिने पूर्व मैंने अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन ऑन लाईन किया था। जिसके सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री प्रियतम डांगी मेरे घर पर गये। जिन्होंने मेरे घर से मेरे दस्तावेज चाहे तो मेरे घर वालों ने दस्तावेज मेरे स्वयं के पास होना बताने पर सदिंग्ध श्री प्रियतम डांगी ने मेरे मोबाईल नम्बर लेकर मेरे पास फोन किया तथा कहा कि अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिनये आप द्वारा जो आवेदन किया गया है मैं उसके सत्यापन के लिये आपके घर पर आया हुआ हूं आप इससे सम्बंधित दस्तावेजात मुझे भिजवायें, जिस पर मैंने इनको जरिये व्हाट्स एप्प पर मेरे दस्तावेज भेज दिये। फिर संदिग्ध अधिकारी श्री प्रियतम डांगी ने मुझे फोन कर कहा कि आप तो यहां पर आ नहीं सकते अगर आपके घर से कोई यहां पर आ सकता है तो मेरे कार्यालय में भिजवा दो, फोन पर बात नहीं हो सकती। मैंने मेरी बहन सुश्री ममता को भेजा तो संदिग्ध आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने मेरी बहन से कहा कि आपकी बहन का जो फार्म है उसको पास करवाने के चालीस हजार रूपये लगेंगे, अन्यथा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। आज मैं रिश्वत मांग के क्रम में मैं इनको पैसे देने के लिये इनके

कार्यालय में आयी तो इन्होंने कहा कि पहले आपके दस्तावेज पूरे कर लूं। फिर इन्होंने एक फार्म भरकर उस पर मेरे तथा मेरे पति श्री रितेश जांगिड से हस्ताक्षर करवाये। फिर इन्होंने मुझसे पैसे मांगे जिस पर मैंने इनको पैसे दिये तो इन्होंने मुझे कहा कि पैसे मेरी टेबल पर रखे आसमानी रंग के फाईल कवर के नीचे रख दो, जिस पर मैंने इनके कहे अनुसार रूपये टेबल पर रखे आसमानी रंग के फाईल कवर के नीचे रख दिये। मैंने वापस जाने के लिये किराये के लिये पैसे की मांग कि तो इन्होंने कहा कि तू ही उठा ले। संदिग्ध आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने अपने रिश्वती राशि अपने हाथ में नहीं ली है इन्होंने मुझसे ही अपनी टेबल पर रखे आसमानी रंग के फाईल कवर के नीचे रखकर प्राप्त की है। इस पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री प्रियतम डांगी को परिवादीया श्रीमती सोनू के अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के आवेदन के सम्बंध में फिस, चार्ज आदि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि कोई फिस/चार्ज आदि नहीं लगता है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादिया के उक्त आवेदन के सत्यापन करने के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने बताया कि श्री राजीव कुल्हार, कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं ने लगभग ढेड महिने पहले श्रीमती सोनू कुमारी के अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के आवेदन के बारे में बताकर कहा था कि यह आपके चिडावा ब्लॉक का आवेदन है इनके मूल निवास का सत्यापन कर बताईये। जिस पर मैंने परिवादिया के मोबाईल नम्बर पर परिवादिया पर पूछताछ कर श्री राजीव कुल्हार को बताया था ये यहां पर नहीं रहते है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री प्रियतम डांगी को रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सेव/सुरक्षित है को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया तथा आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया, आरोपी तथा संदिग्ध श्री राजीव के मध्य हुई वार्ता के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी श्रीमती सोनू कुमारी मेरे पास आई थी तब मैंने अपने फोन से इनकी वार्ता श्री राजीव कुल्हार से करवाई थी तब इनके मध्य जो सुनाई गई है वह वार्ताऐं हुई थी। उक्त वार्ता में सदिग्ध श्री राजीव कुल्हार द्वारा की जा रही रिश्वत मांग के सम्बंध में आरोपी श्री प्रियतम डांगी को पूछने पर आरोपी ने बताया कि इस सम्बंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो अपने फोन पर इनकी बात करवाई थी। मौके पर उपस्थित परिवादिया श्रीमती सोनू कुमारी ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन के समय आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने मुझसे पूर्व में मेरे द्वारा किये गये अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दिलवाने के लिये संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार का नाम बताकर अपने मोबाईल फोन से जरिये व्हाट्स एप्प के श्री राजीव कुल्हार से मेरी बात करवाई थी तब सदिग्ध श्री राजीव कुल्हार ने मेरी प्रोत्साहन राशि विभाग से स्वीकृत करवाने के एवज में मुझसे 40,000/– रूपये की रिश्वत की मांग की तब मैंने उनसे कह कि मैं गरीब परिवार से हूं तब भी उन्होंने कहा था कि इससे एक भी रूपया कम नहीं होगा तथा आरोपी श्री प्रियतम डांगी ने मुझे कहा कि आप रूपये लेकर मेरे पास आ जाना या मेरे अकाउन्ट में डलवा देना। आपको प्रोत्साहन राशि लेनी है तो इतने रूपये आपको देने ही पडेंगे। इसके पश्चात अभी इन्होंने मेरे आवेदन के सम्बंध में अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार से भी वार्ता की है जिन्होंने ने भी 40,000/– रूपये की रिश्वत की मांग की है। जो अभी इन्होंने मेरे से उक्त रिश्वती राशि अपनी टेबल पर रखवाकर प्राप्त की है। इस पर परिवादी श्रीमती सोनू कुमारी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार सैनी से आरोपी श्री प्रियतम डांगी की टेबल पर रखे कांच के बांयी तरफ रखे प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे की तलाशी लिवाई गई तो तो 500–500 रूपये नोट बरामद होना बताया, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो उक्त 500–500 के कुल 30 नोट (भारतीय चलन मुद्रा के) कुल 15,000/– रूपये तथा 500–500 के कुल 50 डमी नोट (मनोरंजन बैंक उपयोग हेतु) कुल 25,000/– रूपये कुल 40,000/– बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त सभी 30 नोटों के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/– रूपये है। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। सभी डमी नोटों पर **DUK 616850** नम्बर अंकित है। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रियतम डांगी के कब्जे से उसकी टेबल के कांच पर रखवाई गई बरामदशुदा रिश्वती राशि 40,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादिया श्रीमती सोनू कुमारी ने बताया है कि आरोपी श्री प्रियतम डांगी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चिडावा ने रिश्वती अपने हाथ में नहीं लेकर अपनी टेबल पर रखे आसमानी रंग के प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे रखवाकर प्राप्त की है। अतः आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा परिवादिया से जिस स्थान पर रिश्वती राशि रखकर प्राप्त की गई है उक्त स्थान को नियमानुसार धोवन लिये जाने हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रियतम डागी द्वारा अपनी टेबल पर रखे कांच के उपर तथा आसमानी रंग के फाईल कवर, जिसके नीचे परिवादिया से जिस स्थान पर रखवाकर रिश्वती राशि प्राप्त की गई है (रिश्वत राशि बरामदगी स्थल) उक्त स्थान

/

का प्रक्रियानुसार कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में एक सफेद कपडे की चिंदी की सहायता धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क T–1 व T–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का 'C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादिया द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री प्रियतम डांगी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा, जिला झुन्झुनूं से परिवादिया के अन्तरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि के आवेदन सम्बंध पत्रावली/फाईल के सम्बंध में पूछने पर बताया कि उक्त के सम्बंध में सूचना मेरे को श्री राजीव कुल्हार ने जरिये मोबाईल दी थी। जिसका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया था। इनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाता है जिसकी डिलींग सम्बंधित कर्मचारी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं के कार्यालय से की जाती है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री प्रियतम डांगी को दिनांक 24.01.2022 को संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार से हुई वार्ता के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि अभी मेरी श्री राजीव कुल्हार से श्रीमती सोनू कुमारी के आवेदन के सम्बंध में वार्ता हुई है। जिस पर आरोपी की टेबल रखे आरोपी के मोबाईल फोन को चेक किया गया तो समय 01:21 पीएम पर श्री राजीव कुल्हार (जो आरोपी के मोबाईल में LDC Rajiv Kular के नाम से सेव है) वार्ता करना पाया गया। आरोपी के उक्त मोबाईल के व्हाट्स एप्प को चेक किया गया तो दोनों आरोपीगणों के मध्य परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त करने सम्बंधी चैंटिंग होना पाया गया।

संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया से रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 24.01.2022 को आरोपी द्वारा परिवादिया से प्राप्त रिश्वत करने के सम्बंध में की गई वार्ता तथा व्हाट्स एप्प चैट के सम्बंध में संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार, कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं से अनुसंधान करना आवश्यक होने पर श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, झुन्झुनूं को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अब तक की कार्यवाही से अवगत कराकर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार को नियमानुसार डिटेन कर पूछताछ हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार के मोबाइल नम्बर 9610449044/ LDC Rajiv Kular (कोन्टेक्ट नेम) से आज दिनांक को की गई चैटिंग का दूसरे मोबाईल की सहायता से दोनों गवाहान तथा परिवादिया के समक्ष फोटो लिये जाकर कम्प्यूटर की सहायता से प्रिंट निकलवाये जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपी की टेबल पर आरोपी द्वारा परिवादिया का भरा हुआ स्वघोषणा पत्र तथा एक डायरी जिस पर प्रिमीयम स्पाईरल डायरी लिखा हुआ है, बरामद हुई जिसके बारे में मौके पर उपस्थित परिवादिया ने बताया कि यह फार्म आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा भरा गया है तथा मेरे तथा मेरे पति द्वारा हस्ताक्षर करवाये है तथा डायरी के अन्तिम पृष्ठ पर आरोपी द्वारा मेरे पति का नाम तथा मेरे बैंक खाते से जुडे मोबाईल नम्बर लिखे गये है। उक्त दोनों दस्तावेज प्रकरण में बतौर वजह सबूत आवश्यक होने पर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा जिस आसमानी कलर के प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे रखवाकर रिश्वती राशि प्राप्त की गई उक्त प्लास्टिक के फाईल कवर को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

समय 02:45 पीएम पर श्री शिशपाल, हैडकानि0 81, भ्रनिब्यूरो, झुन्झुनू मय जाब्ता के डिटेनशुदा संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा के कार्यालय पर उपस्थित आये तथा संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार को मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि सदिग्ध को इसके निवास स्थान नई तहसील के पास, किसान कोलोनी, वार्ड नम्बर 10, झुन्झुनूं से डिटेन कर हमराह लेकर आया हूं। जिस पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजीव कुल्हार पुत्र विजय सिंह कुल्हार उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 10, नई तहसील के पास, किसान कोलोनी, झुन्झुनूं स्थाई पता निवासी ग्राम देवरोंड, पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध को उसके द्वारा किये जा रहे कार्य के बारे में पूछा गया तो संदिग्ध ने बताया कि मैं छात्रवृति, छात्रावास, स्टोर, अनुप्रति आदि से सम्बंधित कार्य सम्पादित करता हूं। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार को उसके कार्यालय में अन्तरजातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के आवेदनों के डिलींग के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध ने बताया कि

अन्तरजातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन ऑन लाईन किये जाते है जिसकी आईडी सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं के पास रहती है। उनके निर्देशानुसार ही आवेदन चैक किये जाते है। मैं भी उनके निर्देशुनसार ही इस प्रकार के आवेदन चैक करता हूं। वर्तमान में हमारे कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर श्री मोहम्मद असफाक खान कार्यरत है। तत्पश्चात संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार, कनिष्ठ सहायक को परिवादिया श्रीमती सोनू कुमार के अन्तरजातीय विवाह हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के आवेदन के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार ने बताया कि श्रीमती सोनू कुमारी का आवेदन करीबन डेढ माह पूर्व ऑनलाईन हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जिस पर मैंने उक्त आवेदन को मैंने चैक किया एवं शपथ पत्र तथा आय प्रमाण पत्र नहीं होने से मैंने उक्त पर ऑब्जेक्शन लगा दिया तथा सत्यापन के लिये ब्लॉक चिडावा के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चिडावा श्री प्रियतम डांगी को बता दिया था। जिस पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार से ऑब्जेक्शन लगाने के उपरान्त भी परिवादिया के आवेदन पर सत्यापन करवाने के संबंध में पूछने पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार ने बताया कि यह हमारे निदेशालय के आदेश है हमें आवेदन कर्ता को एक माह के अन्दर ही प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करनी होती है। तत्पशचात संदिग्ध ने पूछताछ पर बताया कि मैं श्री प्रियतम डांगी को जानता हूँ उनसें मेरी मोबाईल फोन पर वार्ता होती रहती है। संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री प्रियतम डांगी के मोबाईल फोन से परिवादिया से हुई रिश्वत संबंधी वार्ता तथा दिनांक 24.01.2022 को आरोपी श्री प्रियतम डांगी से परिवादीया के आवेदन की राशि स्वीकृत करवाने की एवज में रिश्वत मांग सम्बंधी हुई वार्ता एवं आरोपी श्री प्रियतम डांगी से की गई व्हाट्स एप्प चैटिंग के सम्बंध मं पूछताछ करने पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार द्वारा पहले तो किसी प्रकार की रिश्वत की मांग करने तथा प्राप्त करने हेतु मना किया गया परन्तु पुनः पूछने पर संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार चुप हो गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री राजीव कुल्हार को स्वयं के मोबाईल फोन हेतु पूछा गया तो संदिग्ध ने बताया था कि मैंने मेरा मोबाईल फोन घर पर चार्ज में लगाया था अभी मेरे को पता नहीं है। आज दिनांक को मेरे पास श्री प्रियतम डांगी को फोन आया था। जिनसे मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने मुझे व्हाट्स एप्प पर श्रीमती सोनू कुमारी से रूपयों के बारे में भी बताया था। पूछताछ, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा अनुसंधान से आरोपी श्री राजीव कुल्हार द्वारा परिवादिया को सरकार द्वारा देय अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये की सहायता राशि दिलवाने की एवज में आरोपी श्री प्रियतम डांगी से अवैध रूप से मिलीभगत करना पाया गया।

इस प्रकार से दिनांक 24.01.2022 को आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा अपने मोबाईल फोन से आरोपी श्री राजीव कुल्हार से वार्ता/चेंटिंग कर रिश्वत प्राप्त करने की सूचना दी गई है। जिस पर प्रकरण में आरोपी श्री प्रियतम डांगी के मोबाईल, जो रियलमी कम्पनी का, बरंग डार्क ग्रे, जिसके आईएमईआई नम्बर 868349052717719, 02–868349052717701 है। जिसमें दो सीम लगी हुई है जिनके नम्बर 6377008897, 9636028346 है, को अनुसंधान हेतु बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थेली में सिल मोहर कर मार्का 'M' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुनने पर उसमें रिश्वती राशि के आदान प्रदान के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन नियमानुसार तैयार की।

अतः उक्त कार्यवाही से आरोपीगण श्री प्रीयतम डांगी पुत्र श्री धरमवीर डांगी उम्र 36 साल निवासी ग्राम ओजटू पुलिस थाना चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं एवं श्री राजीव कुल्हार पुत्र विजय सिंह कुल्हार उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 10, नई तहसील के पास, किसान कोलोनी, झुन्झुनूं स्थाई पता निवासी ग्राम देवरोंड, पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये रिश्वत प्राप्त करने के दुराशय से मिलीभगत करते हुये परिवादिया सोनू कुमारी को अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये की सहायता राशि दिलवाने की एवज में दिनांक 19.01.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन में 40,000/– रूपये की मांग करना तथा रिश्वति राशि मांग के अनुसरण में आज दिनांक को 40,000/– रूपये परिवादिया से आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा अपनी टेबल पर आसमानी कलर के प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे रखवाकर रिश्वत प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 एवं 120 बी भादसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण श्री प्रीयतम डांगी पुत्र श्री धरमवीर डांगी उम्र 36 साल निवासी ग्राम ओजटू पुलिस थाना चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं एवं श्री राजीव कुल्हार पुत्र विजय सिंह कुल्हार उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 10, नई तहसील के पास, किसान कोलोनी, झुन्झुनूं स्थाई पता निवासी ग्राम देवरोंड, पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया। दौराने ट्रैप कार्यवाही कोविड–19 महामारी के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई।

परिवादीया एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में आरोपी द्वारा परिवादीया से प्राप्त की गई रिश्वत राशि का फर्द निरीक्षण घटनास्थल तैयार किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण श्री प्रीयतम डांगी पुत्र श्री धरमवीर डांगी उम्र 36 साल निवासी ग्राम ओजटू पुलिस थाना चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिडावा जिला झुन्झुनूं एवं श्री राजीव कुल्हार पुत्र विजय सिंह कुल्हार उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 10, नई तहसील के पास, किसान कोलोनी, झुन्झुनूं स्थाई पता निवासी ग्राम देवरोंड, पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये रिश्वत प्राप्त करने के दुराशय से मिलीभगत करते हुये परिवादिया सोनू कुमारी को अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये की सहायता राशि दिलवाने की एवज में दिनांक 19.01.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन में 40,000/– रूपये की मांग करना तथा रिश्वति राशि मांग के अनुसरण में आज दिनांक को 40,000/– रूपये परिवादिया से आरोपी श्री प्रियतम डांगी द्वारा अपनी टेबल पर आसमानी कलर के प्लास्टिक के फाईल कवर के नीचे रखवाकर रिश्वत प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री प्रियतम डांगी एवं श्री राजीव कुल्हार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादंसं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(कमल नयन)
पुलिस उप अधीक्षक
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कमल नयन, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री प्रियतम डांगी उर्फ प्रीतम, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं 2.श्री राजीव कुल्हार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला झुन्झुंनू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 20/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 169-73 दिनांक 25.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

25.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।